पत्रांक-फार्म-अनुभाग / 2014-15/ – 933 / 1415105 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(फार्म-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 26 दिसम्बर, 2014

- आदेश -

परिपत्र संख्या-विधि-4(1) अधिनियम/ नियमावली/2012-13/ 1125/ वाणिज्य कर दिनांक 07-11-2012 के अन्तर्गत CST फार्म्स को डाउनलोड किये जाने के लिये यह व्यवस्था की गयी है कि सम्व्यवहार से आच्छादित कर अवधि समाप्त होने के बाद फार्म-एफ व फार्म-आई प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि पर तथा फार्म-ई-1 एवं फार्म-ई-2, फार्म-एच तथा फार्म-सी बिल नम्बर एवं तिथि अंकित करने के उपरान्त त्रैमासिक रूप से जेनरेट / डाउनलोड किये जा सकते है | विभिन्न व्यापारी संगठनों एवं कई व्यापारियों द्वारा लगातार यह मॉग की जाती रही है कि उन्हें वाणिज्य कर कार्यालय से केन्द्रीय बिक्री कर के प्रिन्टेड फार्मों को प्राप्त करने में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काफी समय लगता है एवं कठिनाई तथा असुविधा होती है । अत: व्यापारिक संगठनों की मांग और उक्त CST प्रपत्रों की कर अवधि के पूर्व आवश्यकता तथा केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तर प्रदेश) (तृतीय संशोधन) नियमावली-2008 के नियम-8 के उपबन्धों के आलोक में उक्त परिपत्र में वर्णित व्यवस्था को परिमार्जित कर **CST प्रपत्रों को केन्द्रीय सम्व्यवहार सम्पन्न होने के तत्काल बाद से जेनरेट / डाउनलोड कर प्रयोग किये जाने की निम्नवत व्यवस्था प्रभावी की जाती है |**

2- रु0 50 लाख से अधिक टर्नओवर वाले संव्यवहारियों जिनके लिये ई-रिटर्न अनिवार्य है, को केन्द्रीय बिक्री कर के प्रिन्टेड फार्म प्राप्त करने में आने वाली समस्या से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से उक्त Online Generation of central forms की सुविधा को परिपत्र जारी होने के दिनांक से ऐच्छिक तथा दि0 01-02-2015 से अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जाता है । माह अक्टूबर 2014 एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 के तृतीय त्रैमास में तथा उसके उपरान्त किये गये केन्द्रीय संव्यवहारों पर यह व्यवस्था लागू होगी । इस व्यवस्था के अन्तर्गत जनहित में यह भी सुविधा अनुमन्य की जाती है कि प्रचलित कर निर्धारण अवधि से एक कर निर्धारण अवधि पूर्व तक के सम्पन्न केन्द्रीय सम्यवहारों के बिल्स, इन्वाइस आदि के आधार पर भी उक्त CST फार्म्स प्रचलित कर अवधि में भी जेनरेट / डाउनलोड किये जा सकेंगे ।

3- केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम से सम्बन्धित फार्म प्राप्त करने के लिए व्यापारी को विभागीय वेबसाइट पर E Forms / E Sancharan के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा । इसके लिए विभागीय वेबसाइट पर E Forms / E Sancharan Registration के लिंक पर क्लिक किया जाएगा । व्यापारी को अपना TIN अंकित करने पर फर्म से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा । इसके पश्चात जिन फॉर्म्स को डाउनलोड किया जाना है उनके सम्मुख स्थित चेक बॉक्स पर क्लिक किया जाएगा, और फिर व्यापारी द्वारा विभाग में सूचित किया गया ई-मेल आई डी, मोबाइल नंबर तथा PAN अंकित किया जायेगा । इसे SUBMIT करने पर यह सूचना सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के लॉगिन आई0डी0 पर उपलब्ध हो जायेगी, किन्तु व्यापारी द्वारा सम्बन्धित एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर तथा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करके सम्बन्धित जोन / सम्भाग / मण्डल कार्यालय के व्यापारी सुविधा केन्द्र में सात दिन के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन आई0डी0 पर उपलब्ध सूचना एवं व्यापारी सुविधा केन्द्र में उपलब्ध कर दी गयी हार्डकॉपी से मिलान कर संतुष्ट होकर ऑनलाइन अनुमोदन किया जायेगा । इसके पश्चात व्यापारी के रजिस्टर्ड ई-मेल तथा मोबाइल पर पासवर्ड प्रेषित हो जायेगा जिसका प्रयोग कर CST फार्म्स की डाउनलोडिंग की जा सकेगी ।